Email

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755 -2550294
Email:- shakha.one@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 11 / 11 / 2022

क्रमांक / स्था. / एक / 68 / लो.प्र. / नीमच / 2022 / 19476 अपर कलेक्टर, कलेक्टर कार्यालय जिला नीमच के पत्र कमाक डूडा / स्थापना / 2022 / 1870 दिनांक 21.09.2022 एवं पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन संभाग उज्जैन के पत्र क्रमांक–3957 / अप.कं 192 / 2022 / पुअ / विपुस्था / 22,उज्जैन, दिनांक 21.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि, शिकायतकर्ता श्री नीलेश नागर पिता श्री दिनेशचन्द्र नागर निवासी बी–189, बृजेशवरी एन.एक्स, इन्दौर की शिकायत पर से दिनांक 19.09.2022 को ट्रेप की कार्यवाही के दौरान श्री महेश जैन तत्कालीन प्रभारी लेखापाल (मूल पद सहायक ग्रेड–03) नगरपालिका परिषद, नीमच जिला नीमच को 3600 / – रूपये रिश्वत लेते हुये रंगेहाथ पकडा गया। विधि अनुसार कार्यवाही कर थाना विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल में अपराध क्रमांक 192 / 2022 धारा 7, भ्र.नि.अ. 1988 (संशोधन 2018) का दिनांक 20.09.2022 पंजीबद्ध कर विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन संभाग उज्जैन में विवेचना में लिया गया है, जिसके अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11–19 / 2011 / 1–10 दिनांक 23 / 02 / 2012 अनुसार कलेक्टर (शहरी विकास) जिला नीमच द्वारा अपने पत्र कमांक / वित्त–1 / स्थापना / 2022 / 1334 नीमच दिनांक 20.09.2022 द्वारा श्री महेश जैन, सहायक ग्रेड–03, नगरपालिका परिषद, नीमच को आगामी आदेश तक कलेक्टर (शहरी विकास) जिला नीमच में संलग्न किया गया है।

2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11–19 / 2011 / 1–10 दिनांक 23 / 02 / 2012 की कण्डिका–1 अनुसार **"ट्रेप अथवा छापे के प्रकरणों में आरोपी अधिकारी / कर्मचारियों के संबंध में किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होने अन्यथा संज्ञान में आने के 03 कार्य दिवस की समयावधि के भीतर ऐसे अधिकारी / कर्मचारियों को उस पद पर से जिस पर रहते हुये ट्रेप अथवा छापे की कार्यवाही हुई है, से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाये"** प्रावधानित है।

3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6–1 / 2021 / एक / 9 दिनांक 24 जून 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कण्डिका–9.4 अनुसार **"लोकायुक्त संगठन / आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से स्थानांतरण करना"** प्रावधानित है।

अतः पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन संभाग उज्जैन के पत्र क्रमांक–3957 / अप.कं 192 / 2022 / पुअ / विपुस्था / 22, उज्जैन, दिनांक 21.09.2022, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11–19 / 2011 / 1–10 दिनांक 23.02.2012 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 6–1 / 2021 / एक / 9 दिनांक 24 जून 2021 के परिप्रेक्ष्य श्री महेश जैन, सहायक ग्रेड–03 को नगरपालिका परिषद, नीमच जिला नीमच से नगर परिषद, विजयपुर जिला श्योपुर में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए पदस्थ किया जाता है।

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

11/11/22

(भरत यादव)
वि.क.अ.–सह–आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.
02.

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755 -2550294
Email:- shakha.one@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

पृ0क्र0:–स्था./एक/68/लो.प्र./नीमच/2022/19577 भोपाल, दिनांक 11/11/2022
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल म.प्र.।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग म.प्र.।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र की ओर पत्र कमांक एफ 1–48/2022/18–1 भोपाल, दिनांक 04.10.2022 के संदर्भ में।
5. कलेक्टर जिला–नीमच, म.प्र. की ओर पत्र कमाक डूडा/स्थापना/2022/1870 दिनांक 21.09.2022 के परिप्रेक्ष्य में श्री महेश जैन, सहायक ग्रेड–03, को नगर परिषद, विजयपुर जिला श्योपुर, म.प्र. के लिए तत्काल भारमुक्त करने हेतु।
6. कलेक्टर जिला–श्योपुर, म.प्र.।
7. पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, उज्जैन संभाग उज्जैन के पत्र क्रमांक–3957/अप.कं 192/2022/पुअ/विपुस्था/22, उज्जैन, दिनांक 21.09.2022 के संदर्भ में।
8. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन/ग्वालियर संभाग म.प्र.।
9. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला–नीमच/श्योपुर, म.प्र.।
10. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नीमच जिला नीमच, म.प्र.।
11. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, विजयपुर जिला श्योपुर, म.प्र.।
12. श्री महेश जैन, सहायक ग्रेड–03, नगरपालिका परिषद, नीमच जिला नीमच की ओर पालनार्थ।
13. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास वेबसाईट में प्रकाशन हेतु पालनार्थ।

11/11/22

वि.क.अ.–सह–आयुक्त
नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.